

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , भागलपुर

पत्रांक-1658(अब्ज)

भागलपुर / दिनांक-14-08-2023

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल , भागलपुर

सेवा में ,

IT NODAL (MIS)
BRRDA, Patna

विषय :- दीपनंदन देवेश , कनीय अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , भागलपुर 1 , कार्य प्रशाखा , सुल्तानगंज -1 पदस्थापित है , अब इसके अतिरिक्त , कार्य प्रशाखा , शाहकुंड -2 में पदस्थापित हुए हैं, इसलिए नई अनुरक्षण नीति 2018 के mobile app में Shahkund प्रखंड में जोड़ने के एवं gauradih प्रखंड से हटाने के सम्बन्ध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दीपनंदन देवेश , कनीय अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , भागलपुर 1 , कार्य प्रशाखा , सुल्तानगंज -1 पदस्थापित है , अब इसके अतिरिक्त , कार्य प्रशाखा , शाहकुंड -2 में पदस्थापित हुआ है।

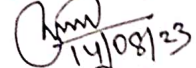
अतः श्रीमान से निवेदन है कि नई अनुरक्षण नीति 2018 के mobile app में Shahkund प्रखंड में जोड़ने के एवं gauradih प्रखंड से हटाने के सम्बन्ध में।
की कृपा की जाय।

अनु - यथोक्त

user -dn.devesh@gmail.com

mobile no.- 9934426456

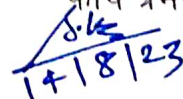
विश्वासभाजन

 14/08/23

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल , भागलपुर

 14/8/23

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदरा

का0आ0सि0- 4/अ0प्र0-01-07/2018

/पटना, दिनांक:- 04/08/2018

विभागीय पत्रांक-2883 दिनांक 08.03.2017, में संशुद्ध निर्णय एवं कार्यहीत में:-

- (i). श्री अशोक कुमार शर्मा, कनीय अभियंता, (गृह जिला-पटना) कार्य प्रमंडल, सुपौल के कार्य प्रशाखा, सुपौल-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य प्रमंडल, सुपौल के रिक्त कार्य प्रशाखा, किशनपुर-01 एवं किशनपुर-02 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
 - (ii). श्री शुशील कुमार सैनी, कनीय अभियंता, (गृह जिला-गोपालगंज) कार्य प्रमंडल, हिलसा के कार्य प्रशाखा, एकग्रसराय-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य प्रमंडल, हिलसा के रिक्त कार्य प्रशाखा, हिलसा-2 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
 - (iii). श्री दीपा नन्दन देवेश, कनीय अभियंता, (गृह जिला-बाँका) कार्य प्रमंडल, भागलपुर, कार्य प्रशाखा-सुल्तानगंज-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य प्रमंडल, भागलपुर के रिक्त कार्य प्रशाखा शाहकुण्ड-2 का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
2. यह आदेश बिल्कुल अस्थायी है, इसके लिए अलग से कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। आवश्यकतानुसार इस आदेश को किसी भी समय निरस्त/संशोधित किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार वाले उक्त कार्य प्रशाखा में किसी कनीय अभियंता का पदस्थापन होने की स्थिति में यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. पूर्व में निर्गत उक्त से संबंधित आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापक:-4/अ0प्र0-01-07/2018 4-3 3 5

/पटना, दिनांक:- 04/08/2018

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-1 एवं 2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा, नालन्दा एवं भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल, हिलसा एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।